न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.**
पत्रावली संख्या. 12/2021
किस्म :– वाद
दायर दिनांक : 02.08.2021

निर्णय दिनांकः 10.03.2025

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द

............प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी सरदारगढ
2. भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति महाजन निवासी कालाखेडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द

..................विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से :– पेरोकार सरकार
विपक्षीगण की ओर से :– एकपक्षीय

प्रार्थी पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व गांव कालेसरिया पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील आमेट जिला राजमसन्द के आराजी नम्बर 141/95 रकबा 0.1080 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। मौके पर अप्रार्थी ने आराजी संख्या 141/95 रकबा 0.0580 हैक्टेयर भूमि पर मार्बल कटर संचालित है तथा सलरी डाल रखी है। अप्रार्थी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन के कार्य में लिया जाना शुरू कर दिया है इसलिए अप्रार्थी ने अकृषि कार्य कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो को भंग किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त" वर्णित भूमि की खातेदारी समाप्त कर उक्त भूमि राजकीय घोषित करवाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2022 को प्रकरण में तहसीलदार आमेट से राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 90ए के तहत् वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसील सरदारगढ की जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि आराजी संख्या 141/95 रकबा 0.0580 हैक्टेयर भूमि पर मार्बल कटर एवं स्लरी डाली गई है। विवादित भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य किया जा रहा है। दिनांक 07.03.2024 को अप्रार्थी को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु अंतिम सूचना पत्र जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी बाद तामील न्यायालय मे अनुपस्थित रहा जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस जाहिर किया कि अप्रार्थी विवादित भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये अकृषि कार्य रहा है जिससें अप्रार्थी विवादित भूमि को खातेदारी में रखने का स्वत्वः खो चुका है एवं अप्रार्थी को बेदखल किया जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस पर चिन्तन व मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के मार्बल कटर एवं मार्बल स्लरी डालकर वाणिज्यिक उपयोग उपभोग करते हुये अकृषि कार्य किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव कालेसरिया पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील सरदारगढ जिला राजमसन्द के आराजी नम्बर 141/95 रकबा 0.0580 हैक्टेयर भूमि मे अप्रार्थी को बेदखल कर राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज करते हुए तहवील सरकार लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार सरदारगढ को लिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **10.03.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट

जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– **श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.**

पत्रावली संख्या. 12 / 2021

किस्म :– वाद

दायर दिनांक : 02.08.2021 | निर्णय दिनांकः 10.03.2025

उनवान

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमन्द

............प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पुत्र रतनलाल जाति महाजन निवासी सरदारगढ
2. भंवरसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति महाजन निवासी कालाखेडी तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द

..................विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी की ओर से :– पेरोकार सरकार

विपक्षीगण की ओर से :– एकपक्षीय

मे इस आशय में दिनांक 10.03.2025 **की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 63, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव कालेसरिया पटवार हल्का घोसुण्डी तहसील सरदारगढ जिला राजमसन्द के आराजी नम्बर 141 / 95 रकबा 0.0580 हैक्टेयर भूमि मे अप्रार्थी को बेदखल कर राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय सिवायचक दर्ज करते हुए तहवील सरकार लिये जाने का आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक को 10.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(गोविन्द सिंह)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी आमेट

(राजसमंद)